(246) (122)

ब न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा जिलारीवा म0प्र0

प्रकरण क्रमांक R.5278-दो/16

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES | 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES | 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

Rs.30/-

R5278-II/16

1. सुमेश्वर तनय जागेश्वर साहू सा0 बंजारी तह0गुढ जिलारीवा म0प्र0
2. भुवनेश्वर तनय जागेश्वर साहू नि0बंजारी निगरानीकर्ता गण

वनाम

1. मालती पत्नी अनंत प्रसाद निवासी ग्राम गुढ तह0गुढ जिलारीवा म0प्र0
2. शासनम 0प्र0 गैर निगरानीकर्तागण

बी.पी.मिश्रा
आज 25-6-16

निगरानी विरूद्व आदेश श्री मान राजस्व निरीक्षक महोदय

सर्किल गुढ तह0गुढ जिलारीवा म0प्र0प्र0क0 62अ12/2014.15

आदेश दिनांक 28.9.15

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार अन्य केअतिरिक्त निम्नलिखित है

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकृया के विरूद्व होने से निरस्त किए जाने योग्यहै
2. यहकि निगरानी कर्ता सीमांकित भूमि खसरा नं 465/1 स्थित ग्राम बंजारीके सरहदीकाश्तकार है जिसके पट्टे की भूमि नं 465/2 सीमांकित भूमि से लगी भूमि है किन्तुअधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के वक्त उपस्थित होने केलिए निगरानीकर्ता को कोई सूचना पत्र तामील नहींकरायाइसप्रकार बिना सरहदी काश्तकार को सूचना दिए अधीनस्थ न्यायालय का पारित सीमांकन आदेश विधिअनुरूप न होने से निरस्त किए जाने योग्यहै।
3. यहकि सीमांकित आराजी ख0क0 465/1 का नक्शा तरमीम सीमांकन के समय तक तरमीम नहीं हुआ था बिना नक्शा तरमीम हुए सीमांकित भूमि का पैमाइस नहीं संभव है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन पुष्टि का आदेश पारितकरना अवैधानिक है जिससे निरस्तककिए जाने योग्यहै।
4. यहकिसीमांकन काकर्य किसी मुस्तकिल सीमाचिन्ह से ही प्रारंभ किए जानेका प्रावधानहैकिन्तु पटवारी हल्का बंजारी द्वारा बिना मुस्तकिल सीमाचिन्ह केही पैमाइस कार्य आरम्भ कर सीमांकन काकर्य सम्पन्नकर दिया जिसकी पुष्टीकरण का आदेशपारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है जिससे आदेश निरस्तकिएजाने योग्यहै।
5. यहकि आवेदिका द्वारा सीमांकन हेतु दियागया आवेदन पत्रत्रुटिपूर्ण था जिसमें सरहदी भूमि का कोई नक्सा प्लाट आवेदन पत्र केसाथ संलग्न नहीं किया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पुष्टीकरण आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है जिससेआदेश निरस्त योग्यहै।

25/6/2016

(122)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5278-II/16 जिला रीवा

सुमेश्वर साहू विरूद्ध मालती

1	2	3
6-9-	1. आवेदक की ओर से श्री पी०पी० मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त गुढ़ तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 62/अ12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 28-09-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	